महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४)

मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४.

शासन आदेश

संदर्भ : शासन आदेश क्र.संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.०६.०२.२०२४.

भारत निर्वाचन आयोग यांनी दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, लोकसभा-२०२४ ची निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तसेच निवडणूक संबंधित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे निदेश दिले आहेत.

- २. यास अनुसरून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी, महाराष्ट्र विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील एकूण ३० अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची बदली सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आली आहे.
- ३. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आलेली बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे.

| अ.क. | | अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे नाव | पदनाम | कार्यरत विभाग |
|------|---------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| ٩ | | २ | 3 | 8 |
| ٩ | श्री | आ. शं. शेंडगे | अवर सचिव | महसूल व वन विभाग |
| २ | श्री | स. शौ. सुतार | कक्ष अधिकारी | इतर मागास बहुजन कल्याण |
| | | | | विभाग |
| 3 | श्री | वि. र. शिंदे | | ग्राम विकास विभाग |
| 8 | श्री | दि.तु. कळविकट्टे | | सार्वजनिक बांधकाम विभाग |
| ч | श्री | के.ज. पाटील | | महसूल व वन विभाग |
| ξ | श्री | रा. रा. बोलाडे | सहायक कक्ष | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग |
| (9 | श्री | श्री. पां. रेगे | अधिकारी | पाणी पुरवटा व स्वच्छता विभाग |
| ۷ | श्री | अ. अ. थोरात | | गृहनिर्माण विभाग |
| 9 | श्रीमती | अ. भा. मनवे | | महसूल व वन विभाग |
| 90 | श्री | प्र. प. राणे | लिपिक- | कृषि व पदुम विभाग |
| 99 | श्री | ल. व. क्षीरसागर | टंकलेखक | नियोजन विभाग |
| 97 | श्री | बा. का. गुळे | | वित्त विभाग |
| 93 | श्री | म. चाँ. शेख | | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य |
| | | | | विभाग |
| 98 | श्री | दि. सु. निमसे | | सार्वजनिक बांधकाम विभाग |

४. तसेच खाली नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांची महाराष्ट्र विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली, सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे.

| अ.क. | | अधिकारी | पदनाम | कार्यरत विभाग | बदलीनंतरच्या |
|------|---------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | /कर्मचाऱ्यांचे नाव | | | पदस्थापनेचा विभाग |
| ٩ | | २ | 3 | 8 | ч |
| 9 | श्री | भा.क. बनसोडे | अवर सचिव | नगर विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| ? | श्री | दि.बा. राऊत | कक्ष अधिकारी | ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 3 | श्रीमती | क.च. कारंडे | | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 8 | श्री | अ.भा. गाडे | सहायक कक्ष अधिकारी | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| ч | श्री | ए. शां. जाधव | | कृषि व पदुम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| Ę | श्री | वि. वा. जगदाळे | | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| (9 | श्री | र. प्र. माने | | पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| ۷ | श्री | जि. प्र. गोरे | लिपिक- | कृषि व पदुम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 9 | श्री | र. वि. भोसले | टंकलेखक | नियोजन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 90 | श्री | कु. शं. चव्हाण | | वित्त विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 99 | श्री | खं. ज. सोनकांबळे | | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |
| 92 | श्री | अ.र. बागवान | | सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग |

- ५. निवडणूकीचे कामकाज तातडीचे असल्याने परिच्छेद ४ मधील तक्त्यातील नमूद अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना, दि.२९.०२.२०२४ (म.नं.) पासून सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागात रूजू व्हावे.
- ६. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही.
- ७. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे १ मार्च, २०२४ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येईल.

- ८. सामान्य प्रशासन विभाग /आस्था-१ (का.१९) कार्यासनाने सदर अधिकारी /कर्मचारी विभागात रूजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रशा-१ (का.१४) कार्यासनास सादर करावी.
- ९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९१२२१४४६९०७ हा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(वि. बा. माने) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- १. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन.
- २. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई.
- ३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ५. अ.मु.स. व मु.नि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ६. सह /उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ७. उप सचिव (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ८. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत).
- ९. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४).